



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सेड़वा जिला बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्णोई आर.ए.एस)
(कोर्ट कैम्प का स्थान ग्राम पंचायत सारला)

राजस्व आवेदन सं. 140/2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थीगण आहमद अली, तुराबअली, गुलामअली
पिता श्री ताज मोहम्मद बनाम तहसीलदार सेड़वा

आदेश

प्रार्थीगण आहमद अली, तुराबअली, गुलामअली पिता श्री ताज मोहम्मद निवासी पांधी का निवाण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत मय दस्तावेज कर निवेदन किया है कि पटवार हल्का हरपालिया राजस्व गांव पांधी का निवाण के खाता संख्या 24 के खसरा संख्या 163 रकबा 6.6368 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम, जमाबन्दी सवत् 2074-77, में उनका नाम आहमद अली, तुराबअली, गुलामअली पिता श्री हाजी ताजमोहम्मद राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है जबकि उनका शुद्ध नाम आहमद अली, तुराबअली, गुलामअली पिता श्री हाजी ताजमोहम्मद के स्थान पर आहमद अली, तुराबअली, गुलामअली पिता श्री ताज मोहम्मद है इस तरह उनका नाम आहमद अली, तुराबअली, गुलामअली पिता श्री हाजी ताजमोहम्मद के स्थान पर आहमद अली, तुराबअली, गुलामअली पिता श्री ताज मोहम्मद दुरुस्त किया जावे।

अतः तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 6.02.2026 की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थीगण आहमद अली, तुराबअली, गुलामअली पिता श्री ताज मोहम्मद निवासी पांधी का निवाण, का पटवार हल्का हरपालिया राजस्व गांव पांधी का निवाण के खाता संख्या 24 के खसरा संख्या 163 रकबा 6.6368 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम, जमाबन्दी सवत् 2074-77, में प्रार्थी का नाम आहमद अली, तुराबअली, गुलामअली पिता श्री हाजी ताजमोहम्मद के स्थान पर आहमद अली, तुराबअली, गुलामअली पिता श्री ताज मोहम्मद करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर आगामी 15 दिनों में पालना इस न्यायालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

(बद्रीनारायण विश्णोई, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
(SDO) सेड़वा

कलक्टर सेड़वा

दिनांक : 30/03/26

क्रमांक:- 183-85

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थीगण आहमद अली, तुराबअली, गुलामअली पिता श्री ताज मोहम्मद निवासी पांधी का निवाण, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO) सेड़वा